

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/पार्ट-I/2017/10

दिनांक:- 03-01-2018

—:आदेश:-

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	शंकर नारायण अग्रवाल	नर्स-1	जोधपुर	20.01.58	31.01.18
2.	धन्ना लाल मीणा	नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय	कोटा	16.02.58	28.02.18
3.	हरनारायण बैरागी	नर्स-1	कोटा	03.02.58	28.02.18
4.	नरेश चन्द्र पालीवाल	नर्स-1	उदयपुर	12.02.58	28.02.18
5.	राधे श्याम यादव	नर्स-1	जयपुर	25.02.58	28.02.18
6.	रामसिंह सांवरिया	नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय	अलवर	10.03.58	31.03.18
7.	विवियाना हेराल्ड	नर्स-1	उदयपुर	01.04.58	31.03.18
8.	शम्भूदयाल शर्मा	नर्स-1	कोटा	20.04.58	30.04.18
9.	भानुमति बेन	नर्स-1	जयपुर	01.05.58	30.04.18
10.	लिसम्मा यू.जे.	नर्स-1	उदयपुर	20.05.58	31.05.18
11.	अशोक कुमार चन्देल	नर्स-1	कोटा	30.06.58	30.06.18
12.	नन्द लाल नागर	नर्स-1	कोटा	24.06.58	30.06.18
13.	गिरधारी लाल मुलेवा	नर्स-1	पाली	01.07.58	30.06.18
14.	गुलाब सिंह राठौड़	नर्स-1	पाली	04.07.58	31.07.18
15.	सरिता चित्तौड़ा	नर्स-1	उदयपुर	14.07.58	31.07.18
16.	जमाल आरा	नर्स-1	जयपुर	16.07.58	31.07.18
17.	देवेन्द्र कुमारी	नर्स-1	जयपुर	04.08.58	31.08.18
18.	सीता कामरा	नर्स-1	श्रीगंगानगर	07.08.58	31.08.18
19.	विनोद कुमार शर्मा	नर्स-1	जोधपुर	10.08.58	31.08.18
20.	खादीजा पठान	नर्स-1	उदयपुर	14.08.58	31.08.18
21.	राजेन्द्र कुमार वर्मा	नर्स-1	कोटा	23.09.58	30.09.18
22.	महेश चन्द्र	नर्स-1	पाली	20.09.58	30.09.18
23.	सुरेन्द्र कौर	नर्स-1	श्रीगंगानगर	02.09.58	30.09.18
24.	रामेश्वर लाल नेहरा	नर्स-1	श्रीगंगानगर	01.11.58	31.10.18
25.	मोड मेरी जेम्स	नर्स-1	जयपुर	15.10.58	31.10.18
26.	सुमित्रा देवी बारबर	नर्स-1	उदयपुर	29.11.58	30.11.18
27.	सन्नी अब्राहिम	नर्स-1	पाली	24.12.58	31.12.18
28.	विरेन्द्र कुमार	नर्स-1	पाली	06.12.58	31.12.18
29.	पदमा दाऊद	नर्स-1	उदयपुर	26.12.58	31.12.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/पार्ट-I/2017/10

दिनांक: 03/01/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षक, पं. दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल गणगौरी बाजार, जयपुर/मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर/महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर/महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा/महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/चित्तौड़गढ़/अलवर/पाली।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सोजत सिटी पाली/श्रीगंगानगर/बी0डी0एम चिकित्सालय, कोटपूतली जयपुर।
5. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बालेसर जोधपुर/रानी (पाली)।
7. कनिष्ठ विशेषज्ञ सीनियर, सामुदायिक स्वा0 केन्द्र, जैतारण (पाली)।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
9. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर